गुजरात में सूखा और बाढ

6052. **श्री अनन्तराय देव शंकर दवे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सूखा और बाढ की समस्यायें गत कई वर्षों से आम बात बन गई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य के सूखा प्रवण और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष कितना बजट प्रावधान किया जा रहा है ; और

(ङ) इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) गुजरात में गत कुछ वर्षों में विभिन्न स्तर के सूखे और बाढ़ के जोखिमों का अनुभव किया गया है ।

अहमदाबाद, अमरेली, बनासकंठा, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मेंहसाणा, पंचमहल, राजकोट और सुरेन्द्रनगर के 10 जिलों में 52 खण्ड सूखा प्रवण क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किए गए हैं । राज्य में अनुमानत: 13.9 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रलण है ।

(ग) केंद्र द्वारा प्रायोजित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम राज्य के 43 खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है और मरूभूमि विकास कार्यक्रम 9 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है । इन कार्यक्रमों से फसलों और पशुधन के उत्पादन और भूमि, जल तथा मानव संसाधनों को उत्पादकता एवं भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास तथा संवर्धन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है । बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बांध बनाने, जलाशय, भू-कटाव रोधी तथ किनारों को पक्का करने जैसे संरक्षक निर्माण कार्यों के माध्यम से बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं ।

(घ) और (ङ) गुजरात को आपदा राहत निधि में 85.00 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन उपलब्ध है ताकि प्राकृतिक आपदाओं, जिनमें सूखा शामिल है, के आने पर राहत और पुनर्वास उपाय किए जा सकें ।

Export Oriented Agricultural Farms

6053. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are allowing cent percent export Oriented agricultural farms; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Establishment of export oriented units in the agriculture sector is being given high priority. It has been decided that such units can avail of the benefits of duty-free imports under the EOU/EPZ scheme even if they export 50 percent of their production. They can sell the remaining 50 percent produce in the domestic market as against the limit of 25 percent permitted for non-agricultural sector.

(b) The details of the scheme of Export Oriented Units are contained in Chapter IX of the Exports and Imports Policy 1992—97 copies of which are available in Parliament Library.